निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 61 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि चम्बा (टि.ग.) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा (टि.ग.) के माह 04/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री राजेश डोभाल एंव डी.के.मट्टू सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15/11/2017 से 27/11/2017 तक श्री नीरज चुंग्रू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव व अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11/04/2016 से 21/04/2016 तक डी.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिन पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः रोड एंव पुलों का निर्माण अनुरक्षण विधान सभा क्षेत्र टिहरी प्रतापनगर।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	441.23	441.23	2224.73	2222.94	1.79	-
2015-16	-	-	357.58	357.58	2547.72	2547.33	0.39	-
2016-17	-	-	365.47	385.47	2148.49	2062.81	85.68	-
2017-18	-	-	361.82	281.12	1782.59	1320.29	462.30	80.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2016 एंव 07/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। डोबरा से भटिडयाना बैण्ड तक मो.मा. का बी.एम./एम.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढीकरण का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 17/10/16 से 21/10/16 का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा 09/16 तक की गई।

4. फार्म 51: माह................तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - 4840000.00

   भाग द् वतीय - ₹ 1159855.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम -	₹ 1964255.00
(ख)	सामग्री क्रय	–
(ग)	नगद परिशोधन	-
(घ)	निक्षेप-	₹ 22850062.00
(ङ)	भण्डार-	₹ 1161418.00

भाग-2 (अ)

शून्य

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर-1 **IRC-09;1972 norm** के अनुपालन कये बिना ही 187 नव निर्माण/पुन: निर्माण एंव सुधारीकरण व चौड़ीकरण कार्य कया जाना।

For accurate preparation of preliminary estimate/ detailed estimates of a road work, it is essential that the department has reliable information on traffic density of the existing road, soil strength of the area where the road is being constructed and the status of the existing road in term of the crust thickness.

For assessing the road for widening and strengthening of existing roads, calculation of values of Passengers Car Unit (PCU-Passenger Car Unit- is calculated in terms of load of different vehicles i.e. Motorcycle, Car, Bus, Truck etc. with their corresponding value as 0.5,1,3 and 3) and Million Standard Axle (MSA-Million Standard Axle is an indicator of traffic load on a road) based on traffic census date, California Bearing Ration (CBR) for determining soil strength and Characteristic Deflection(CD) were required for arriving at the crust thickness required as per IRC guidelines.

Records of the division reveal that the division did not conduct any traffic surveys despite taking up of 187 road construction work during the last two years i.e. 2016-17 & 2017-18 as detailed below-

- प्रथम चरण के 68 कार्य में 229 क.मी. लम्बाई का मार्ग जिस की कुल लागत 2974.45 लाख।
- 43 नव निर्माण मोटर मार्ग 157.52 क.मी. लम्बाई जिस की कुल लागत 5026.85 लाख।
- पुन: निर्माण व सुधारिकरण के 76 कार्य मे 147.745 क.मी. मोटर मार्ग की लम्बाई जिसकी कुल लागत 8553.40 लाख।

उपरोक्त के अतिरिक्त

- माँ. मुख्य मंत्री घोषणा 642/2012 के अंतर्गत जनपद टिहरी गड़वाल के वधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अंतर्गत डोबरा से भ लड्याना बैंड तक मोटर मार्ग का बी एमएसडीबीसी द्वारा सुढद्रीकरण (लागत ` 727.14 लाख)
- डोबरा मरोडा जाख नई टिहरी मार्ग का पुन: निर्माण एंव सुधार कार्य की बी एमएसडीबीसी द्वारा (लागत `1128.75 लाख)

- लालूरी कोटी मारो की मंजखेत मोटर मार्ग का डामीरीकरण का कार्य (लागत ` 534.31 लाख)

Were proposed for strengthening & widening but the detailed estimates were not supported by traffic census reports. However, the competent authorities accorded technical sanction ignoring this basic requirement. It was also noticed that the division did not maintain proper records to monitor the status of existing road. While as per IRC norms the rules provide for conducting traffic census every year for every road and this report of traffic census with Form-3 need to be sent to Zonal chief Engineers for onward submission to Chief Engineer, Headquarter and Director, Research Institute and the procedure to be followed is that traffic census should be conducted 24 hours a day for seven days, in presence of AEs at least on three days. Nothing, in this regard was found done at the division level.

उपरोक्त के संबंध में इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा 4 मार्गों के डामरीकरण एंव सुधारीकरण कार्यों की प्रा व धक स्वीकृति से पूर्व यातायात गणना कर कृस्ट डज़ाइन की पुष्टि तथा अवगत कार्य क भ वष्य मे भी यातायात गणना हेतु अनुपालन कया जाएगा। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्यो क खण्ड द्वारा साक्ष्य के रूप मे उपरोक्त व र्णत कार्यों का कोई अ भलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत व उपलब्द नहीं कराया। इस के अतिरिक्त उनके द्वारा लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गये तथ्यों की पुष्टि भी की गयी हैं।

अत: IRC-09;1972 norm का अनुपालन न कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2: डोबरा मरोड़ा मोटर मार्ग मे 1से 13 क0 मी0 मे बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य पर लेखा परीक्षा को पूर्ण अभिलेख उपलब्द न कराया जाना, स्वीकृत आगणन के अनुसार मदो पर `1.58 करोड़ कार्य न करना/बचत से अन्य कार्य कराया जाना व अनियमित रूप से 30 मी0 स्पान स्टील गाडर सेतु बी0 क्लास लोडिंग से A" क्लास लोडिंग सेतु मे परिवर्तित कर `31.33 लाख इस कार्य पर व्यय भारित किया जाना।

जनपद- टिहरी गढ़वाल गढ़वाल में डोबरा मरोड़ा मोटर मार्ग मे 1 से 13 क0 मी0 मे बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 5393/III(2)/12-03 (मुख्य मंत्री गोषणा) /2012 दिनांक 06-12-2012 द्वारा लम्बाई 13 किमी. हेतु रू. 1128.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.), लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा पत्रांकः 4974/08(130) याता.(मा.मु.बो.) - पर्व./2012 दिनांकः 13-12-2012 के माध्यम से 1 से 13 किमी. लम्बाई हेतु लागत `1124.12 लाख की प्रदान की गयी थी।
कार्य पर सुधारीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु लेखा परीक्षा द्वारा खण्ड से गठित अनुबन्धो का विवरण उपलब्द करने हेतु मांग की जिसके सापेक्ष मे खण्ड द्वारा कुल **18** अनुबन्धो का विवरण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किए व आतिथि तक कार्य पर ` 1128.70 लाख का व्यय फोरम 64 के अनुसार दर्शाया जा रहा है जबकि 18 अनुबन्ध व भुगतान वाउचर के अनुसार कार्य पर केवल `922.41 लाख का व्यय किया गया है।
आगे अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु खण्ड द्वारा 17 अनुबन्ध के साथ साथ अधीक्षण अभियन्ता द्वारा M/s हिल वेस कन्स्ट्रकशन प्राइवेट Limited (CB No-1 14/SE 8th circle/13-14 dt 24-05-2013) के साथ कुल लागत ` 9.08 करोड़ का गठित किया जिस के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 24/05/2013 व कार्य समाप्ती की निर्धरित तिथि 23/05/2014 थी। लेकिन कार्य को अनुबन्ध के अनुसार पूरा न किया जाने के लिए ठेकेदार को समय वृद्धि प्रदान की गयी थी। इस के अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन मे `1.58 करोड़ के कार्य (सलग्नक 1 के अनुसार) नहीं किए गए है जबकि लेखा परीक्षा द्वारा पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण खण्ड से स्वीकृत आगणन के अनुसार कुल कितना मदो का कार्य वर्ष 2013 से आतिथि तक निष्पादित किया गया है का मद वार विवरण उपलब्द करने हेतु मांग भी की लेकिन खण्ड द्वारा मद वार कोई विवरण अथवा साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रस्तुत या उपलब्द नहीं कराई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आतिथि तक स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य अपूर्ण है।
उपरोक्त के अतिरिक्त खण्ड द्वारा अनुबन्ध संख्या 77/ईई दिनांक 20/9/2016 क0मी0 13 से 14 के बीच मे 30 मी0 स्पान स्टील गाडर सेतु क क्षतिग्रस्त डेक स्लैब मरम्मत का कार्य जिसपर `31.33 लाख का व्यय किया गया को इस कार्य पर व्यय वर्तन करते हुवे भारित किया

गया जो प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति व वत्तीय नियमो के वरुद है साथ ही इस कार्य को करने हेतु मुख्य अ भयन्ता से भी स्वीकृति अप्राप्त थी।

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया क स्वीकृत लागत के अंतर्गत मात्र 18 अनुबंध ही गठित नहीं कए गए अ पतु अन्य अनुबंध/कार्यदेशो के माध्यम से तथा आकस्मिक व्यय भी भारित कये गये है तथा अनुबंधो के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत मदो मे हुवे बचत `1.58 करोड़ के सापेक्ष मार्ग पर अन्य महत्वपूर्ण कार्य कए गए है तथा 30 मी0 स्पान स्टील गाडर सेतु क क्षतिग्रस्त डेक स्लैब मरम्मत का कराया जाना आवशयक था जिसके लए अधीक्षण अ भयंता से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यो क खण्ड द्वारा अगर आगणन मे स्वीकृत मदो के अनुसार कार्य पूर्ण कया होता तो उक्त का ववरण अथवा साक्ष्य लेखा परीक्षा को उपलब्द करते और अगर `1.58 करोड़ बचत थी तो बिना शासन की अनुमति प्राप्त कये व प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति के अनुसार अन्य मदो पर व्यय नहीं कया जा सकता है इस के अतिरिक्त बिना मुख्य अ भयन्ता से स्वीकृति प्राप्त कये सेतु बी0 क्लास लो डंग से A क्लास लो डंग सेतु मे परिवर्तित कर इस कार्य पर व्यय वर्तन करते हुवे भारित कया जाना प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति व वत्तीय नियमो के वरुद है

अत: डोबरा मरोड़ा मोटर मार्ग मे 1से 13 क0 मी0 मे बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य पर लेखा परीक्षा को पूर्ण अ भलेख उपलब्द न कराया जाना, स्वीकृत आगणन के अनुसार `1.58 करोड़ मदो पर बचत से अन्य कार्य कराया जाना व 30 मी0 स्पान स्टील गाडर सेतु बी0 क्लास लो डंग से **A”** क्लास लो डंग सेतु मे परिवर्तित कर **`31.33** लाख इस कार्य पर व्यय भारित कये जाने का प्रकरण उच्च अ धकरियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:**1**- ` 7.18 लाख के देयकप्रस्तुत न करने व गलत पुनरीक्षत आगणन स्वीकृत करने हेतु भेजने के संबंध मे।

भल्डियाना- मोटना रोपवेके कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता(पुनर्वास), टिहरी बांध परियोजना, 26-ई.सी. रोड देहारादून द्वारा पत्राक- 11/SE(R)/DD/Estimate दिनांक-06.12.2005 के द्वारा ` 215.00 लाख के लिए प्रदान की गयी थी।निविदा आमंत्रित करने के पश्चात न्यूनतम निविदादाता रोपवे एण्ड रिसोर्स प्राइवेट लिमटेड कोलकाता को कार्य आवंटित किया गया। कार्य हेतु रोपवे एण्ड रिसोर्स प्राइवेट लिमटेड कोलकाता के साथ मैकेनिकल कार्य हेतु अनुबंध स. 3/SE(R)/2005-06 दिनांक-24.01.2006 के द्वारा `150.00 लाख के लिए एक मुश्त पंजीकृत किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य दिनांक-24.07.2006 को पूरा किया जाना चाहिए था। जबकि कार्य 11/2017 तक अपूर्ण है और उस पर Form-64 के अनुसार आतिथि तक ` 195.34 लाख का व्यय किया गया है।

पूर्व मे यह कार्य अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो.नि.व. नई टिहरी के अधीन करवाया जा रहा था। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लो.नि. व. नई टिहरी द्वारा कार्य को इस खंड मे स्थानांतरण करने तक `159.36 लाख खर्च कर दिये गए थे। अवशेष धनराशि ` 55.64 लाख निर्माण खंड, नई टिहरी द्वारा पत्रांक-481/8सी दिनांक-28.04.2016 द्वारा इस खंड को स्थानांतरित कर दी थी। खंड द्वारा कार्य पर `35.98 लाख का खर्च किया जा चुका हैं। निक्षेप पंजिका के 10/2017 के अनुसार इस कार्य पर `1965884.00 अवशेष हैं।खंड द्वारा खर्च किए गए खर्च के `7.18 लाख के देयक प्रस्तुत नही किए हैं।
स्वीकृत ` 215.00 लाख के विरुद्ध फॉर्म-64 के अनुसार इस कार्य पर अभी तक कुल ` 195.34 लाख खर्च किया गया हैं। जबकि खंड द्वारा जून 2015 मे बनाए गए पुनरीक्षतआगणन के अनुसार `214.92 लाखका खर्च दिखाया गया हैं।

इस और इंगित करने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं कि पुनरीक्षत आगणन अनुमानित था वास्तविक व्यय फॉर्म-64 के अनुसार ही हैं।

अत: ` 7.18 लाख के देयक प्रस्तुत न करने व गलत पुनरीक्षत आगणन स्वीकृत करने हेतु भेजने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:**2**- वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण अ धक वेतन भुगतान |

अ धशासी अ भयंता,निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग,चम्बा के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री नरेंद्र कुमार वर्षवाल, अपर सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर2004 मे नियु क्त हुई थी तथा उपरोक्त अ धकारी की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर 2011 को हुई।

श्री नरेंद्र कुमार वर्षवाल, अपर सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमश: ₹18700/=दिया गया जब क वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क अ भलेखो की जांच एवं परीक्षण करने के उपरांत कार्रवाही पूर्ण कर ली जाएगी।

अत: श्री नरेंद्र कुमार वर्षवाल, अपर सहायक अ भयंता को अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 3– कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करना, उच्चाधिकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटना तथा बी0एम0 मद के लिये अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये जाने के कारण कुल रू0 11.39 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 642/2012 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर में डोबरा से भल्डियाना बैण्ड मोटर मार्ग लम्बाई 10.600 किमी0 के बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या–4496/111(2)/13–17(प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 30.08.2013 द्वारा रू0 727.14 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0), लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा पत्रांक : 282/08(130)मा0मु0घो0–पर्व0/2014 दिनांक 04.02.2014 के माध्यम से लागत रू0 727.14 लाख की प्रदान की गयीथी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा के अभिलेखों की नमूनाजांच (माह 11/2017) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0), लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा पत्रांक : 282/08(130)मा0मु0घो0–पर्व0/2014 दिनांक 04.02.2014 के माध्यम से लागत रू0 727.14 लाख की प्रदान की गयी थी। जबकि प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा दिनांक 10.10.2013 को आमंत्रित की गयी।
- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति रू0 727.14 लाख की मुख्य अभियन्ता(ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी, परन्तु उच्चाधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिये कार्य को टुकड़ों में बाटतें हुए (Spliting of work) कुल 24 अनुबन्ध गठित किये गये, जिसमें से 18 अनुबंध सहायक अभियन्ता स्तर के, 05 अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता स्तर के तथा 01 अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता स्तर के गठित किये गये जबकि इसके लिये सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नही किया गया।
- बी0एम0 मद की आगणन में स्वीकृत दर रू0 7776.10/घन मी0 से उच्च दर पर अनुबन्ध रू0 8300.00/घन मी0 की दर से किया गया जिसके कारण उक्त मद की निष्पादित कुल मात्रा 2173.51 घन मी0 के लिये अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये जाने के कारण कुल रू0 1138702.00 का अधिक भुगतान किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि कार्य का विस्तृत आगणन गठित करने के उपरान्त ही निविदा आमन्त्रित की गई है तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्य की प्राविधिक स्वीकृति जारी करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया गया है, विस्तृत आगणन के अनुसार कार्य की महत्ता को देखते हुये महत्वपूर्ण कार्य जैसे बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 के कार्य हेतु अनुबन्ध गठित किया गयाथा परन्तु अन्य कार्य जो स्थल पर करवाये जाने आवश्यक थे मूल अनुबन्ध में सम्मिलित न होने के कारण तथा कार्य को समय से पूर्ण करने हेतु कार्य को टुकड़ो में बांटकर सक्षम अधिकारी की मौखिक अनुमति के अनुसार अनुबन्ध गठित कर कार्य करवाये गये है तथा निविदा परामर्श समिति एव ENGINEERING APPRECIATION के अनुमोदन के

उपरान्त उक्तमद की दरें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही अनुबन्ध में सम्मिलित है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नही था क्योकि वित्तीय प्रावधानों के अनुसार प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिय थी, कार्य को टुकड़ों में बाटने (Spliting of work) का सक्षम अधिकारी द्वारा कोई लिखित अनुमोदन प्राप्त नही किया गया था तथा कार्य के मुख्य अनुबन्ध 09/SE-8/2013-14 Dt. 22.02.14 को उसकी आगणित लागत से अधिक पर गठित किया गया था।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, उच्चाधिकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटने तथा बी0एम0 मद के लिये अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये जाने के कारण कुल रू0 11.39 लाख का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4- 19.64 लाख प्रकीर्ण अ ग्रम का वसूली/समायोजन हेतु लम्बित रहना।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग चम्बा के अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड के प्रकीर्ण अ ग्रम मद में मार्च 2007 से दिसम्बर 2017 तक धनरा श 19.64 लाख वभाग, कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली खण्ड द्वारा समायोजन हेतु कोई प्रयास खण्ड दवारा नहीं कया गया आगे लेखा अ भलेखों में यह पाया गया क खण्ड द्वारा इन अ ग्रमों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं कया गया था। अतः 10 वर्ष (2007 से दिसम्बर 2017 तक) के बाद भी खण्ड द्वारा इनकी वसूली नहीं कया गया आगे ये भी देखा गया क कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन/ खण्ड द्वारा नहीं कया जा रहा है एवं प्रकरण को वभाग के उच्चा धकारियों एवं शासन के संज्ञान में न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में लाया गया है। इस सबंध में वभाग से पूंछा गया क कन कारणों से इन वगत 3 वर्षों में खण्ड द्वारा कतने कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों से कुल दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन प्रकीर्ण अ ग्रम मद में कया गया है। खण्ड द्वारा प्रकीर्ण अ ग्रम मद में पड़ी रा श को जल्द वसूलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या खण्ड द्वारा इस संबंध में जिला अ धकारी को वसूली कये जाने हेतु लया गया है वभाग ने उत्तर में बताया क प्रकरण काफी पुरानी होने के कारण समायोजन में व्यवधान हो रहा है फर भी पत्राचार करते हुए समायोजन की कार्यवाही गतिमान है पत्राचार उच्चा धकारियों के संज्ञान में है समय समय पर उच्चा धकारियों द्वारा खण्ड का वा षक निरीक्षण भी कया गया अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5- प्रतिभूति धनरा श (**Security Deposit**) 50.15 लाख की प्रत्याहरण (**Refund**) की देयता।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श को कोषागार में खण्ड द्वारा जमा कया जाता था तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती है जब क माह जुलाई 2014 से ठेकेदारों के देयकों से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श सीधे कोषागर में जमा होती है तथा भुगतान भी कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान में ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार में जमा हो रही हैं।

खण्ड की मा सक लेखा जून 2014 की जांच में पाया गया क Form-79-Schedule of Deposit (Part-I) के अनुसार 1,25,91,890.00 ठेकेदारों के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष था जिसका डीसीएल खण्ड के पास उपलब्ध नहीं था जो यह दर्शाता है क खण्ड द्वारा यह धनरा श अन्य कार्यो पर कया गया था। आति थ पर खण्ड के पास 50.15 लाख की देयता है आगे अ भलेखों में यह बी पाया गया क खण्ड द्वारा इन ठेकेदारों को भुगतान पूर्व में चल रहे कार्यों से कया है जो वत्तीय नियम के वरूद्ध है।

इस ओर इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क खण्ड द्वारा समय समय पर बैठकों के माध्यम से बजट आवंटन हेतु मांग की गयी जिसके क्रम में प्रमुख अ भयंता द्वारा प्रकरण सम्पूर्ण प्रदेश हेतु उत्तराखण्ड शासन को संद र्भत कया गया हैं और उन्हे शासन द्वारा इस देयता को वभाग से प्राप्त बजट से भुगतान कये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः जुलाई 2014 से पूर्व ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श 50.15 लाख का प्रत्याहरण (Refund) अभी तक नहीं कये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 6- 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु लागत 343.05 लाख के निर्माण कार्य अवरूद्ध रहना व एस.बी.डी. की शर्तों अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही न कया जाना।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद-टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में रतवाड़ी नकोट खोली मोटर मार्ग के कमी. 6 में 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 5898/III(2)/14-30(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 26/11/2014 द्वारा 343.05 लाख की प्रशासकीय एव वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लो.नि. व. टिहरी द्वारा पत्रांकः 11/848-टी./सेतु-टि.एस./टिहरी/16 दिनांकः 29/01/2016 के माध्यम से कमी. 6 से 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण कार्य हेतु लागत 343.05 लाख की प्रदान की गयी थी।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क कार्य हेतु अधीक्षण अ भयनता द्वारा M/s कुन्दन संह प्रेम संह जमनाल (CB No. 19/SE 8th Circle/15-16 dt 29/03/2016) के साथ कल लागत 1.97 करोड़ का गठित कया जिस के अनुसार कार्य प्रारम्भ 29/03/2016 व कार्य समाप्ति की निर्धारित ति थ 28/09/2017 थी। आति थ तक अपूर्ण सेतु निर्माण कार्य के निष्पादन में कुल 0.30 करोड़ का व्यय कया गया है और कार्य वगत 4 महीनों से बन्द है। आगे यह भी पाया गया क स कार्य पर 1.28 करोड़ के आगणन में सम्म लत स्वीकृत मद पर कोई अनुबंध भी नहीं कया गया था। जिससे यह पता चलता है क खण्ड द्वारा यह कार्य जानबूझ कर बाद में छोटे-छोटे टुकड़ों में अनुबंध गठित कर कये जाने का प्रयास कया है जो क UK Procurement rule 2008 व financial rules का साफ साफ उल्लंघन है।

आगे अ भलेखों में पाया गया क अनुबंध के अनूसार कार्य पर निम्न वत्तीय माइल स्टोन निर्धारित कए गए थे।

माइल स्टोन 1	15%	6 माह
माइल स्टोन 2	50%	12 माह
माइल स्टोन 3	100%	18 माह

खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रावली की जांच में पाया गया क कार्य को 4 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कया गया और कार्य बन्द है। उपलब्ध अ भलेखों के अनुसार कार्य पर वत्तीय व भौतिक प्रगति 15 प्रतिशत व 12 प्रतिशत मात्र है (11/2017)। इस संबंध में खण्ड के अ धकारियों द्वारा ठेकेदार से अनुबंध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से देय 20.45 लाख (425 दिन x 9848 प्रति दिन के हिसाब से ले कन 10 प्रतिशत आगणन की रा श तक सी मत) एल.डी. (liquidated

damages) की कटौती नहीं की थी एस के साथ साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद् ध हेतु पुनः आवेदन भी नहीं दिया गया था और न ही अनुबंध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 31) के अनुसार नया माइल स्टोन प्रोग्राम खण्ड को उपलब्ध कराया है जिस के अव्ज में 5 लाख की धनरा श भी ठेकेदार से प्राप्त नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यस्थल पर साइट आ फस एवं लैबोरेटरी भी स्था पत नहीं की ग. थी जिस के अभाव में कार्यस्थल पर ही मटीरियल टेस्टिंग एवं क्वा लटी कंट्रोल सुनिश्चित नहीं कया गया था साथ ही अनुबंध के Clause 13 के शर्तों अनुसार ठेकेदार ने कार्य पर इन्सोरेंनस की समय वृद् ध नहीं बढ़वाई है और खण्ड द्वारा अनुबंध के clause 13.3 के अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित भी नहीं की थी। इस के अतिरिक्त अनुबंध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 59) के अनुसार खण्ड द्वारा इस अनुबंध को समाप्त कये जाने के लए भी कोई कार्यवाही नहीं की है जब क वगत 4 महीनों से कार्य पर कोई प्रगति नहीं है अथवा कार्य नहीं कया जा रहा है और ठेकेदार न्यायालय जाने की भी धमकी खण्ड को दे रहा है।

इस ओर इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है क वभाग द्वारा कार्य को समय पर समाप्त नहीं कये जाने पर ठेकेदार को अनुबंध की शर्तानुसार समय समय पर नोटिस दिये गए है इस संबंध में उच्चा धकारियों को अवगत कराया गया हैं। तथा अनुबंध के शर्तानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी, इनसोरेन्स नवीनीकरण हेतु ठेकेदार को निर्दे शत कया गया है साथ ही 1.28 करो के शेष स्वीकृत मद को अतिरिक्त मद के माध्यम से इसी अनुबंध में सम्मि लत कर लये गये है परन्तु खण्ड द्वारा 1.28 करोड़ के संबंध में कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये और कार्य वगत 4 महीनों से बन्द है इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत (09/2017) के सापेक्ष मात्र 12 प्रतिशत (11/2017) है तथा इस अब पूर्व की एस.ओ.आर. दर से पूर्ण कया जाना संभव नहीं है।

अतः खण्ड द्वारा समय पर ठोस कार्यवाही न कए जाने के कारण 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण कार्य अवरूद्ध रहना व एस.बी.डी. की शर्तों अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही न कये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 7- चम्बा में **multilevel car and bus parking** का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को पार्किंग सुविधा यातायात व रोजगार मिलना एवं तार्थ यात्रियों की सुविधा उपलब्ध करना तथा चार धाम यात्रा के समय जाम अपूर्ण।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत चम्बा टिहरी गढ़वाल में multilevel कार एवं बस पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 351/VI(1)2014-02(08)2014 दिनांक 04/03/2014 के द्वारा 693.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लो.नि. व. टिहरी गढ़वाल पत्रांक 2654/8(54)/याता-ग.क्षे./2014 दिनांक 08/12/2014 के माध्यम से 3 मंजिला कार एवं बस पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु लागत 693.10 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो.नि. व. चम्बा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा M/s Singal Engineers (CB No 24/SE 8th circle/14-15 dated 12/02/2015) के साथ कुल लागत 6.81 करोड़ का गठित किया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 12/02/2015 व कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 11/11/2016 थी लेकिन अभिलेखों के अनुसार अतिथि तक कार्य के निष्पादन में कुल 474.14 लाख का व्यय किया गया जबकि निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि 11/11/2016 के एक वर्ष उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण है और केवल ग्राउंड फ्लोर तक ही पूर्ण किया गया। अभिलेखों में आगे पाया गया कि ठेकेदार को समय पर कार्य पूर्ण न किये जाने के लिए अर्थ दण्ड नहीं लगया गया और न ही समय वृद्धि प्रदान की गयी इस के अतिरिक्त अभिलेखों में यह भी पाया गया कि कार्य को समय पर पूर्ण न किये जाने के कारण खण्ड द्वारा शासन को निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया उक्त पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य बन्द है अतः योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनता को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराकर प्रदूषण से हुए दुष्परिणाम से निजात दिलाकर सुगम यातायात उपलब्ध करना व बहुमूल्य ईधन की बचत एवं स्थानीय जनता को रोजगार मिलना तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करना तथा चारधाम यात्रा के समय जाम की स्थिति से निजात दिलाना का मुख्य उदेश्य अपूर्ण निर्माण कार्य की वजह से पूर्ण नहीं हो सका।

उपरोक्त के संबंध में विभाग से पूंछे जाने पर विभाग न उत्तर में बताया कि कार्य की वास्तविक स्वीकृत लागत 693.10 लाख से अधिक आ रही है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है ठेकेदार द्वारा रैंप की उपरीचत राल्लिंग व अप्प्रोच स्लैब का कार्य छोड़ कर चारो तलों का कार्य पूर्ण किया गया समय वृद्धि प्रकरण की स्वीकृति अपेक्षित है। खण्ड द्वारा अतिरिक्त धनराशि हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित के शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया जिस पर शासन में

प्रमुख स चव पर्यटन से दिनांक 29/08/2017 को बैठक भी संपन्न हुई कार्य का आगणन वर्ष 2013 की दरों पर गठित था एवं कार्य वर्ष 2015 में प्रारम्भ कया जा सका जिसके कारण दरों में वृद् ध स्वभा वक थी कार्य प्रारम्भ होने पर नीव 492 मी. की Depth के स्थान पर 481 मी. पर उपलब्ध हो पाई पुनरी क्षत आगणन में एप्रोच स्लैब, रैंप स्लैब रो लंग वद्युतीकरण फायरहाई डेट आदि कार्य कया जाना शेष है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का वविवरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	73/1990-91	1	-	
2	48/1991-92	-	1,2,3(3)	
3	59/1993-94	-	1,2(2)	
4	46/1994-95	-	1,2(2)	
5	89/1995-96	1	-	
6	01/1996-97	-	1,2,3(3)	
7	189-1997-98	-	-	
8	272/1998-99	1	-	
9	148/1999-00	1	-	
10	30/2001-02	2	1	
11	11/2002-03	3	1	
12	05/2003-04	-	2	
13	20/2005-06	-	1	
14	100/2006-07	1	1	
15	09/2008-09	1	2	
16	08/2010-11	2	1	
17	17/2012-13	3	1	
18	66/2013-14	1	1,2	
19	03/2016-17	-	1,2,3	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा प्रतिवेदनों का उत्तर उच्चा धकारियों को प्रे षत कये गये हैं।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i)

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री वपुल कुमार सैनी	अ धशासी अ भयंता	04/10/13 से 27/07/17 तक
(ii)	श्री गौरव थप लयाल	अ धशासी अ भयंता	27/07/17 से अब तक

(iii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री वपीन कुमार
2. श्री बी.डी. जोशी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II